Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 12 ~ Issue 6 (June 2024) pp: 232-235
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

सामाजिक सामंजस्य की आवश्यकता व इसके निर्माण मे संविधान की भूमिका

डॉ० नेत्रपाल सिंह

डिपार्टमेंट ऑफ़ सोशियोलॉजी

मान्यवर कांशीराम गोवेर्मेंट डिग्री कॉलेज, गभाना (अलीगढ़)

सारांश

सामाजिक सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग ही है। सामाजिक सहिष्णुता के लिए हमारे मनीषियों ने अनेक उपाय बताए हैं। जिनका अनुसरण कर हम समाज को एक सूत्र मे बाँध सकते हैं।" वसुधैवकुटुंबकम" अर्थात संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, का जो बीज मंत्र भारतीय संस्कृति ने दिया वह सामाजिक सहिष्णुता बनाए रखने का एक महत्व पूर्ण मंत्र है । भारत एक बहुत विशाल देश है,यह विविधता से परिपूर्ण है, प्राचीन समय से ही समय-समय पर भारत में अनेक विदेशी यात्री,व्यापारी अथवा विदेशी आक्रमणकारी आए, समय के साथ वह यहीं के हो कर रह गए। यही कारण है, कि भारत में अनेक प्रकार की सामाजिक-सांस्कृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किंतु यदि विविधता में सामंजस्य की कमी होने लगे तब सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। भारतीय समाज धर्म, जाति, लिंग ,क्षेत्र, भाषा, वर्ण, व्यावसायिक समूह आदि में विभाजित है यही कारण है कि भारतीय समाज में अनेक समस्याएं है, जैसे ऊंच-नीच, पक्षपात, पूर्वाग्रह, भय, उन्माद, ईर्ष्या, द्वेष आदि। यही सब कुरीतियां सामाजिक विभेद, संघर्ष व सामाजिक हिंसा को पोषित करती हैं। वस्तुतः संविधान निर्माताओं के सम्मुख महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाई जाए जिस के द्वारा भारतीय समाज की संरचनामें आधार भूत परिवर्तन संभव हो सके। संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण इस उद्देश्य से किया कि सामाजिक-आर्थिक- राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता अधिकार प्रत्येक नागरिक को मिले।

मुख्य शब्द: *सहिष्णुता,संस्कृति,विविधता,सामंजस्य,कुरीतियां,संविधान।*

प्राचीन ग्रंथों ने सर्वदा सहिष्णुता का उदाहरण दिया भगवान राम ने अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए रावण के सामने बात चीत का प्रस्ताव रखा । श्री कृष्ण ने भी परिवार का विवाद टल जाए इसके लिए कौ रव पक्ष के सम्मुख केवल पांच गांव का प्रस्ताव रखा। सहिष्णुता तथा सौहार्द भारतीय संस्कृति की विरासत है। इस संस्कृति में वाद-विवाद एवं संवाद की संस्कृति रची बसी है। भगवान बुद्ध व महावीर स्वामी ने अपने समय में प्रचलित प्रथाओं के विरुद्ध एक लोक प्रिय जन आंदोलन चलाया । शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में भ्रमण कर शास्त्रार्थ किया, राजा राम मोहन राय ने अनेक धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार किया, दयानन्द सरस्वती ने धर्म सहित धर्म की रूढ़ियों को चुनौती दी । मुगल सम्राट अकबर ने सर्व धर्म समभाव की भावना के साथ सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया। सहिष्णुता के विशेषता के कारण ही भारतीय समाज ने गंगा-जमुना तहजीब को अपनाया । इसमें कोई संदेह नहीं की इन परिवर्तनों व चुनौतियों को विरोध झेलना पड़ा किंतु यह विरोध कभी भी असहिष्णुता के उच्चस्तर तक नहीं पहुंचा, कि प्रत्येक आवाज को मिटा दिया गया हो। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने इसे सामाजिक समरसता को बनाए रखने के उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया। संविधान का उद्देश्य है कि इसमें निहित

स्वतंत्रता पर पूरे समाज की भागीदारी होना कि सिर्फ कुछ गिने-चुने लोगों की । सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सभी धर्मों का आदर और मानवतावाद की रक्षा होनी चाहिए, इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए संविधान में सभी नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक न्याय, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है ।

सहिष्णुता का अर्थ:

सहिष्णुता का अर्थ विभिन्न धर्मों, मतों व पंतों के प्रति आदर एवं प्रेम की भावना को बनाए रखना है। सहिष्णुता समाज के ताने-बाने को बनाए रखती है । विश्व के प्रमुख धर्म, विभिन्न परिवेश, संस्कृति एवं समाज के सूचक हैं। विभिन्न प्रमुख धर्म बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई, इस्लाम कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। सत्य, दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा, क्षमा, शांति इत्यादि ऐसे गुण हैं, जो सभी धर्मों के मूल में निहित है। धार्मिक सहिष्णुता के द्वारा समाज में परस्पर शांति स्थापित किया जा सकता है । धार्मिक कट्टरता के निराकरण के लिए धार्मिक सहिष्णुता अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

सहिष्णुता का महत्व तथा वर्तमान स्थिति:

समाज केवल एक समान विचारों एवं रुचियों वाले व्यक्तियों से मिलकर नहीं बनता बल्कि इसमें रहन-सहन, विचार, खान-पान, व्यवहार में विविधता का समायोजन होता है । हालांकि इस तरह के विविधता पूर्ण समाजों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और असहिष्णुता ऐसी ही एक गंभीर चुनौती है । इस चुनौती से निपटने के लिए समाज में सामंजस्य शांति व भाईचारे का विकास आवश्यक है । हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है, जिसकी पहचान विविधता से होती है विविधता सामाजिक सौहार्द को प्रतिबिंबित करती है किंतु यदि विविधता में सामंजस्य की कमी होने लगे तब समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं । भारत एक विशाल देश है और वर्तमान समय में जिस प्रकार आबादी तेजी से बढ़ रही है जीवन का संघर्ष भी दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है । विभिन्न सामाजिक राजनीतिक आर्थिक और धार्मिक कारणों से वर्तमान समाज में असहिष्णुता बढ़ रही हैं । सभी में व्यक्तिगत व सामूहिक जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही है । आर्थिक असमानता और कार्य के अवसरों में कमी ने जीवन की जटिलताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है।

भारतीय संविधान की आवश्यकता एवं विशेषता

प्रत्येक समाज कुछ मात्रा में अपने नागरिकों पर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखता है । वह औपचारिक व अनौपचारिक रूप से व्यक्ति के व्यवहार पर नजर रखता है । किंतु उच्चस्तर में समाज पर नियंत्रण संविधान, कानून, अदालत, पुलिस द्वारा ज्यादा नजर आते हैं । भारत में संविधान को सर्वोच्च दस्तावेज के रूप में जाना जाता है । यह मानक तय करता है । वस्तुतः संविधान निर्माताओं के सम्मुख महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि, ऐसे सामाजिक व्यवस्था लाई जाए जिसके द्वारा भारतीय समाज में समरसता व सौहार्द प्रमुखता से बना रहे ।

प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में एक प्रस्तावना की व्यवस्था होती है। प्रस्तावना में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है, जिसके प्राप्ति के लिए अधिनियम का निर्माण किया जाता है। संविधान की प्रस्तावना में संविधान की रचना का प्रमुख उद्देश्यनिहित है।

भारतीय संविधान की अंतरात्मा न्याय,क्षमता,अधिकार व बंधुत्व द्वारा अभिसिंचितहै।सामाजिक,आर्थिक व राजनीतिक न्याय हमारे वर्तमान संविधान के नियामक की महत्वाकांक्षाओं में से एक है।संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि "हम भारत के लोग भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए इस संविधान को अधिनियमित तथा आत्मा अर्पित करते हैं।"वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है।प्रस्तावना संविधान की कुंडली है तथा सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड़ है।संविधान का राजनीतिक दर्शन समूचे संविधान में यहां-वहां पर हुआ है, यद्यपि संविधान की उद्देशिका का अध्ययन राजनीतिक दर्शन का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ है। प्रस्तावना में सम्मिलित कुछ शब्द संविधान के दार्शनिक पक्ष को समेटे हुए हैं। जैसे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष,

लोकतांत्रिक गणतंत्र यह शब्द भारत की प्रकृति के बारे में व न्याय, स्वतंत्रता व समानता जैसे शब्द भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के बारे में बताते हैं।

हम भारत के लोग यह शब्द भारतकि लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि संविधान का आधार भारत के लोगों का प्राधिकार है। प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य हैकि राज्य को अपने से जुड़े हुए हर मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार है कोई भी बाहरी शक्ति नियंत्रण नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष शब्द इस बात को सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक समाजवाद,भारतीय राज व्यवस्था के समाज वादी दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है किंतु भारतीय संविधान में परिकल्पित समाजवाद राज्य के समाजवाद से भिन्न है। भारतीय संविधान में परिकल्पित समाजवाद का आशय आय, प्रस्थिति, जीवन के स्तर में असमानता को दूर कर नाव श्रम जीवी लोगों को स्वस्थ जीवन स्तर प्राप्त कराने से है। उद्देशिका में वर्णित लोकतांत्रिक गणराज्य स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करता है कि संविधान के अधीन अधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। भारत का प्रमुख लोकतांत्रिक चुनाव के बाद सत्ता में आता है ना कि वंशानुगत तरीके से।

भारत का संविधान अध्याय 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार प्रदान करता है जो राज्य के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा संरक्षण देते हैं।हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य था, देश में वे एक समाजवादी व्यवस्था चाहते थे संविधान द्वारा नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक क न्याय देने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत हित व सामाजिक हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना था।

निष्कर्ष:

असहिष्णुता केवल समाज के ताने-बाने को ही छिन्न-भिन्न नहीं करती बल्कि इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था विकास अंतरराष्ट्रीय छवि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बढ़ती असहिष्णुता भारत के अंदर चल रहे राजनीतिक विमर्श में भी भटकाव पैदा करती है। इसके दीर्घकाल में राष्ट्र के विकास और प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। संविधान ने सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का मूलभूत अधिकार दिया है संवैधानिक रूप से हमारा समाज सहिष्णु समाज है। भारतीय समाज में कई प्रकार के धर्म, संस्कृति, जातियां, उपजातियां, गोत्र, परंपरा, रीति-रिवाज, मान्यताओं के बावजूद अपनी मूल पहचान भारतीयता की है। सही अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना सभी हो सकेगी, जब स्वतंत्रता और सभ्य जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित हो जाएंगे। इस परिपेक्ष में भारत का संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह समानता,जातिवाद, लैंगिक असमानता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता, बेगारी आदि अनेक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करता है। यह प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार आत्मसम्मान से जीने और समाज के प्रत्येक वर्ग और समुदाय को देश की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करता है। संविधान कल्याणकारी समाज की स्थापना करता है। यह सदियों से वंचित शोषित वर्ग आदिवासी व पिछड़े समाज के सशक्तिकरण के लिए पर्याप्त प्रावधानों को संविधान में सम्मिलित कर भारत को एक समान अधिकार वादी राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनैतिक आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल है। नागरिकों को आपसी भाईचारा व बंधुत्व के माध्यम से व्यक्ति के समान तथा देश की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करता है।

संदर्भ सूची:

. लक्ष्मीकांत एम: भारत की राज्य व्यवस्था,

- *मजूमदार, रायचौधरी, दत्त: भारत का वृहद इतिहास, मैकमिलन पब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड*
- *श्रीवास्तव के सी: प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो इलाहाबाद।*
- *ग्रोवर बी एल,मेहता अलका:आधुनिक भारत का इतिहास, एस चांद पब्लिकेशन।*
- *मजूमदार, राय चौधरी, दत्त: भारत का वृहद इतिहास, मै कमिलन पब्लिशरइंडियालिमिटेड।*
- *श्रीवास्तव केसी: प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, यूनाइटेड बुक डिपो, इलाहाबाद।*

• श्री वास्तव आशीर्वादी लाल: भारत का इतिहास 1000 - 1707, शिव लाल अग्रवाल एंड कंपनी पुस्तक प्रकाशन आगरा ।

• डा बसु डी डी: भारत का संविधान-एकपरिचय,लेक्सिस ने क्सिस, बटरवर्थ वाधवा, नागपुर।

• डा शर्मा लक्ष्मी निधि: धर्म-दर्शन की रूप रेखा, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद।

• मुखर्जी पीवी: श्री एलिमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफद इंडियन।

• डा फाडिया बी एल: भारतीय प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन।